

PS

२

०५/४/२१

राजस्थान सरकार
खान (युप-2) विभाग

क्रमांक: प.20(118)खान / युप-2 / 2014

जयपुर दिनांक: ०५/०८/२०२४

आदेश

राज्य में खनिज बजारी के अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन की रोकथाम हेतु श्री बी.एस. सोढा, अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग जयपुर, जोन जयपुर को एतद्वारा समन्वयक (Co-ordinator) अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री सोढा, खान विभाग के समस्त कार्यालयों, संबंधित विभागों यथा स्थानीय प्रशासन, एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए खनिज बजारी के अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन की रोकथाम एवं खनिज बजारी से संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों तथा विशेष अभियान के दौरान की की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन की प्रभावी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करायेंगे। उक्त निर्देशों की पालना के लिए उचित समझा जाने पर श्री सोढा, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर सकेंगे।

उक्त आदेश राक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


 (राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ट सहायक, कार्यालय माननीय खान मंत्री, खान विभाग।
२. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
३. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
४. अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता मुख्यालय), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
५. अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग जयपुर, जोन जयपुर
६. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता, समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग।
७. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव